



प्रेषक,

नितिन कुमार गुप्त,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 09 मार्च, 2026

विषय: जनपद कुशीनगर के पडरौना बस स्टेशन के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-1136बी/डीए/पूर्व/25-42जेईटी/वि0/19-20, दिनांक 17.12.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कुशीनगर के पडरौना बस स्टेशन के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु ₹0 628.66 लाख (रूपये छः करोड़ अट्ठाइस लाख छछठ हजार मात्र) (सेन्टेज, लेबर सेस एवं जी0एस0टी0 सहित) के सापेक्ष निविदित लागत 627.85 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹0 264.33 लाख (दो करोड़ चौसठ लाख तैंतीस हजार मात्र) शासनादेश संख्या-11/2023/266/तीस-1-2024, दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं शासनादेश संख्या 30/2025/405/तीस-1-2025 दिनांक 31.03.2025 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में ₹0 223.87 लाख की धनराशि निर्माण कार्य हेतु कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त की गयी है, कुल 588.20 लाख की धनराशि प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त परियोजना हेतु उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत कुशीनगर के पडरौना बस स्टेशन के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु पी.एफ.ए.डी. द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत ₹729.28 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एवं निविदित लागत धनराशि ₹627.85 लाख के अब तक अवमुक्त कुल धनराशि ₹0 588.20 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में धनराशि ₹0 39.65 लाख (उनतालिस लाख पैसठ हजार मात्र) को चतुर्थ किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
3. परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश संख्या-5/2021/File no. 65-2013/2/2019-2, दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standard for universal accessibility in India 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार परिवहन निगम/ कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
7. प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जाएगा।
8. कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा।
9. कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाएगा।
10. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1 एवं 3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
11. निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किया जाए, जिसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0 प्र0 परिवहन निगम को होगा।
12. प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम का होगा।
13. उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत किया जाएगा।
14. उक्त धनराशि पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है, को सुनिश्चित किये जाने के उपरांत व्यय की जाएगी।
15. परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित बस स्टेशन/डिपो पी0पी0पी0 मॉडल पर विकसित किये जाने वाले बस स्टेशन/डिपो की सूची में सम्मिलित नहीं है।
16. परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य की निविदा लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जाये।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-043 के लेखा शीर्षक 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-0401-बस अड्डों के निर्माण में अंशपूँजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के यू0ओ0 संख्या E-9-271-X-2025-26- दिनांक: 23-2-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या: 19 /2026/50(1)/तीस-1-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०, लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
10. उप सचिव, परिवहन अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
11. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9।
12. परिवहन अनुभाग-3, उ० प्र० शासन।
13. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह०/-

अरविन्द कुमार

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।